कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन –काउंसिंल की बैठक दिनांक 06.05.2017

प्रस्ताव क्रमांक–1

नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 20 सार्वजनिक शौचालय विभिन्न वार्डो मे स्थापित है,जिसकी सफाई व्यवस्था वर्तमान में कोई नही कर रहा है । इनमें केयर टेकर एवं सफाई कर्मचारी रखा जाना अत्यंत आवश्यक है,इस कार्य के लिये समूह के महिलाओं को रखा जाना है। सुडा द्वारा जारी आदेश पत्र क/2902/1487/2017/18 दिनांक 22.04.2017 में निर्धारित मानदेय के आधार पर केयर टकरे लिये 5000/– रूपय प्रतिमाह मानदेय एवं सफाई कर्मचारी के लिये 2000/–रूपय प्रतिमाह मानदेय 01सुलभ शौचालय के लिये निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 1,40,000.00 रूपय मात्र का प्रतिमाह व्यय होना है की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति की अनुमति हेतु प्रस्तुत।

संकल्प –01 प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तुत चर्चा की गई उपरोक्तानुसार 20 सार्वजनिक शौचालय में कोई कर्मचारी या एजेंसी नही होने के करण रख रखाव नही होने से असामाजिक तत्वो द्वारा टूट–फूट किया जा रहा है, को रोकने एवं नागरिको को सुविधा देने के लिए 01 केयर टेकर तथा प्रत्येक शौचालय की सफाई पर 01 कर्मचारी रखा जावे तथा इन पर प्रस्तावित मानदेय राशि एवं इस पर व्यय राशि 1,40,000.00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान किया जाता है।

सचिव

महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन– काउंसिंल की बैठक दिनांक 06.05.2017

प्रस्ताव क्रमांक–2

इस निकाय क्षेत्र में वर्तमान में 05 स्थानों पर एसएलआरएम सेन्टर का निर्माण हो रहा है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कार्य भी प्रारंभ होना है, इन दोनो कार्यो के लिये महिला समूहो का चयन किया जाना है,जिसमे पुरूष तथा महिला कर्मचारियों की आवश्यकता होगी जिसका निर्धारण 206 मानव बल के रूप में शासन से स्वीकृति प्राप्त है। इन मानव बल के लिये निर्धारित वर्दी (पुरूष कर्मियो को ग्रे कलर की दो वर्दी तथा महिला कर्मियों को हरे रंग दो साड़ी,एप्रान,सिलाई व्यय,पहचान पत्र,दस्ताने,जूता,मोजा,टोपी,एवं मास्क निःशुल्क प्रदान की जायेगी शासन के पत्र क/09/सूडा/मि.क.सिटी/2017/3991/नया रायपुर दिनांक 04.02.2017 के अनुसार 4.532 लाख (प्रति रूपय 2200.00) का व्यय अनुमानित है।

<u>**संकल्प –02**</u> प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तुत चर्चा की गई उपरोक्त प्रस्तावित अनुसार कार्य की एवं सामाग्री क्रय पर शासन के पत्र क/09/सूडा/मि.क. सिटी/2017/3991/नया रायपुर दिनांक 04.02.2017 के अनुसार 4.532 लाख (प्रति रूपय 2200.00) छ.ग.राज्य हाथ करघा विकास/विपणन सहाकारी संघ मर्यादित रायपुर /छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड रायपुर से सीधे क्रय करने पर व्यय राशि की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।

सचिव   महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन– काउंसिंल की बैठक दिनांक 06.05.2017

प्रस्ताव क्रमांक–3

मिशन क्लीन सिटी के तहत डोर टू डोर कलेक्शन एवं एस.एल.आर.एम. सेन्टर में संलग्न स्व–सहायता समूहों के सदस्यो का रूपय 5000/– मासिक मानदेय निर्धारण के अनुसार मासिक व्यय कि स्वीकृति बावत् । कार्यरत पुरूष एवं महिला कर्मचारियों के लिये वर्दी कय करने की अनुमति बावत्।

इस निकाय क्षेत्र में वर्तमान में 05 स्थानों पर एसएलआरएम सेन्टर का निर्माण हो रहा है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कार्य भी प्रारंभ होना है, इन दोनो कार्यो के लिये महिला समूहो का चयन किया जाना है,जिसमे पुरूष तथा महिला कर्मचारियों की आवश्यकता होगी जिसका निर्धारण 206 मानव बल के रूप में शासन से स्वीकृति प्राप्त है। इनमें कार्य करने वाले सदस्यों का रूपय 5000/– मासिक मानदेय सुडा द्वारा जारी आदेश पत्र क/2902/1487/2017/18 दिनांक 22.04.2017 में निर्धारित किया गया है। इस मानदेय पर 206 कर्मचारी के रूप में कार्य करने पर प्रतिमाह 10,30,000.00 का व्यय अनुमानित है।

डोर टू डोर कलेक्शन से संग्रहित पुनचकित किये जाने पदार्थो को भी संबंधित को प्रोत्साहन के रूप में निःशुल्क प्रदान किया जावेगा । किन्तु आर्गेनिक वेस्ट से निर्मित कंपोस्ट का विकय कर अर्जित आय निकाय के खाते में जमा की जावेगी।

डोर टू डोर कलेक्शन हेतु युजर चार्जेस की वसूली संबंधित स्व–सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा ही की जावेगी,जिसे प्रतिदिन निकाय के खाते में जमा कराई जावेगी

संकल्प –03 प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तुत चर्चा की गई उपरोक्तानुसार शासन द्वारा निर्धारित मानदेय पर सहमत समूहों के सदस्यों से कार्य लिया जावे, तथा इस पर प्रतिमाह रू.10,30,000.00 की व्यय की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान किया जाता है।

सचिव

महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन– काउंसिंल की बैठक दिनांक 06.05.2017

प्रस्ताव क्रमांक–4

डस्टबीन क्रय किये जाने की अनुमति बाबत ।

मिशन क्लीन सिटी फेस–1 के क्रियान्वयन हेतु संचालनालय पत्र क्र/या.प्र./14वॉ वित/MCC/SWM/Com.Shed/1237 नया रायपुर दिनांक 31.01.2017 के द्वारा इस निकाय में डस्टबीन की मांग संख्या जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक आवास गृह में 02 डस्टबीन के मान से 45084 नग डस्टबीन पर व्यय लाख 45.084 स्वीकृत है। उक्त डस्टबीन क्रय की कार्यवाही छ.ग भण्डार क्रय नियम/डीजीएसएनडी की दरों पर क्रय किया जाना है। वर्तमान में इस हेतु संचालनालय स्तर पर नवीन आदेश अपेछित है। उक्त सामग्री को शासन के निर्देशानुसार क्रय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत हेतु प्रस्तुत।

संकल्प –04 प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तुत चर्चा की गई उपरोक्त प्रस्तावित अनुसार सामग्री को शासन के निर्देशानुसार क्रय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत सर्वसम्मति से प्रदान की गई ।

सचिव

महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन– काउंसिंल की बैठक दिनांक 06.05.2017

प्रस्ताव क्रमांक–5

खुले में शौच मुक्त घोषित करने बाबत्।

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निकाय क्षेत्र में खुले में शौच प्रथा को रोकने के लिये घर–घर शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि पूर्णतः की ओर है। सार्वजनिक स्थलों पर नागरिकों की सुविधाओं के लियें सार्वजनिक शौचालय का निर्माण एवं पूर्व निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का संधारण कराया जा रहा है, जो कि पूर्णताः की ओर है। शासन के निर्देशानुसार इस संबंध में दस्तावेजी परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है। इसके तहत् समस्त शालाओं, आंगनबाड़ी एवं स्वसहायता समूहों के साथ ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से भी घोषणा–पत्र भरकर जमा किया जाना है, यह कार्य भी प्रगति पर है। इसी क्रम में अन्य बिन्दुओं की जानकारी भी तकनीकी शाखा द्वारा तैयार करायी जा रही है। दैनिक समाचार पत्र में भी दावा–आपत्ति आमंत्रित किया गया है, जिसकी समयावधि 03.05.2017 को समाप्त हो गया है। इस अवधि में किसी भी प्रकार की दावा–आपत्ति प्राप्त नही हुआ है।

अतः निकाय क्षेत्र अंतर्गत खुले में शौच मुक्त घोषित किये जाने का संकल्प परिषद से पारित कराया जाना है। इस हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

संकल्प –05 प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तुत चर्चा की गई उपरोक्त प्रस्तावित अनुसार निकाय को खुले मे शौचमुक्त घोषित किये जाने की अनुशंसा करते हुये प्रकरण सक्षम स्वीकृति हेतु परिषद में रखें जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।

सचिव

महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन– काउंसिल की बैठक दिनांक 06.05.2017

प्रस्ताव क्रमांक–6

खुले में शौच करने वालों के ऊपर दंडात्मक कार्यवाही किये जाने बाबत्।

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निकाय क्षेत्र में खुले में शौच प्रथा को रोकने के लिये घर–घर शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि पूर्णतः की ओर है। सार्वजनिक स्थलों पर नागरिकों की सुविधाओं के लियें सार्वजनिक शौचालय का निर्माण एवं पूर्व निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का संधारण कराया जा रहा है, जो कि पूर्णताः की ओर है। प्रायः देखा गया है कि आज भी लोगों के द्वारा शौचालय का उपयोग न करते हुए खुले में शौच करना जारी है। इसको रोकने के लिए प्रातः 05 बजे से लगातार विगत् 03 माह से निकाय के कार्यालयीन कर्मचारी/अधिकारी/पार्षद एवं महापौर के द्वारा लगातार लोगो को समझाईस दी जा रही है। इसके साथ ही स्वछता प्रेरको द्वारा लगातार आज भी लोगो के व्यवहार परिवर्तन के लिये कार्य कर रहे है। इसके साथ ही खुले में शौच प्रथा को रोकने के लिए होर्डिग/बैनर/स्टीकर के साथ ही वार्डो में जगह–जगह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी जन–जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है।

आज भी जिन लोगो के द्वारा खुले में शौच के लिए जा रहे है, उनके ऊपर दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना है, जिसके लिए राशि प्रथम बार 100 रू. दूसरी बार 300 रू. तीसरी बार 500 रू. इसके बाद भी आगे मिलने पर न्यायालयीन प्रकरण दर्ज कराया जायेगा।

अतः निकाय क्षेत्र अंतर्गत खुले में शौच मुक्त घोषित किये जाने के उद्धेश्य की पूर्ति के लिए उपरोक्त दण्डात्मक राशि आरोपित करने की अनुमति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

संकल्प –06 प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तुत चर्चा की गई उपरोक्त प्रस्तावित अनुसार कार्य करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।

सचिव

महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन– काउंसिंल की बैठक दिनांक 06.05.2017

प्रस्ताव क्रमांक–7

मिशन क्लीन सिटी योजनातंर्गत उपकरण /मशीनरी क्रय करने के संबंध में ।

शासन के पत्र क्र/यां.प्र./14वां वित/एमसीसी/एसडब्लूएम/3415 नया रायपुर दिनॉक 27/03/2017 के अनुसार मिशन क्लीन सिटी योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रथम चरण में तालिकानुसार मशीनरी /उपकरण क्रय किया जाना हैं ।

जिसके अनुसार 65 नग ट्रायसिकल रिक्शा के लिए राशि (प्रति इकाई दर 25,000.00) 16.25 लाख एवं 8 नग कव्हर्ड मिनी टिप्पर के लिए राशि (प्रति इकाई दर 4.5 लाख) 36 लाख स्वीकृत हुआ हैं ।निदेश था कि इस समाग्री को छग भंडार क्रय नियम 2002 के तहत कार्यवाही किया जाना था ।

निर्देशानुसार उक्त समाग्री वर्तमान में क्रय नहीं किया गया हैं किन्तु आगे क्रय किया जाना हैं । जिसकी प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत ।

संकल्प –07 प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तुत चर्चा की गई उपरोक्तानुसार सूची में उल्लेंखित सामाग्री एवं शासन के पत्र क/3178/1878/2017/18 नया रायपुर दिनांक 03.05.2017 के द्वारा एस.एल.आर.एम.एवं कंपोस्टिंग शेड निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिनके संचालन हेतु आवश्यक टूल्स एवं प्लान्ट की सूची परिषट ए,बी, एवं सी मे उल्लेखित सामाग्री विभाग के पत्र कमांक /520/111/2017/18 दिनांक 19.01.2017 के अनुसार GEM PORTAL के माध्यम से कय किया जाना है,यदि GEM PORTAL में वांछित सामाग्री उपलब्ध ना हो तो भंडार कय नियमो का पालन करते हुये सामाग्री कय करने पर होने वाले कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान किया जाता है।

सचिव

महापौर